# झारखण्ड सरकार
## नगर विकास एवं आवास विभाग
## अधिसूचना

अधि०सं०–8/विविध/109/2015/न०वि०आ०/ 5065 राँची, दिनांक– 07/08/17

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा–3 की उपधारा (1) एवं (2) तथा 4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, पलामू जिलान्तर्गत मेदिनीनगर नगर परिषद (वर्ग–'ख') के मूलरूप में उसके आस–पास के 09 राजस्व ग्रामों को मिलाकर विभागीय अधिसूचना सं०–1961, दिनांक–29.05.2015 के द्वारा वृहत्तर शहरी क्षेत्र (नगर निगम) के रूप में अधिसूचित करते हुए 30 दिनों के अंदर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–817, दिनांक–03.07.2015 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया है कि निर्धारित अवधि के अन्दर किसी प्रकार की दावा एवं आपत्ति नहीं की गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1768, दिनांक–16.07.2015 के द्वारा विभागीय अधिसूचना–1961, दिनांक–29.05.2015 से निर्गत प्रारूप आदेश में उल्लेखित जनसंख्या में कतिपय त्रुटि दर्शाते हुए उन त्रुटियों के निराकरण हेतु परामर्श दिया गया।

राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त परामर्श के आलोक में उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–651 दि०–02.03.2016 से मेदिनीनगर नगर परिषद में 15 राजस्व ग्रामों को शामिल करते हुए मेदिनीनगर नगर निगम के गठन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

उक्त प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में पुनः विभागीय अधिसूचना सं०–2262 दिनांक–22.04.2016 द्वारा "प्रारूप आदेश" निर्गत किया गया। उक्त निर्गत प्रारूप आदेश पर राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक–835 दिनांक–09.05.2016 द्वारा मेदिनीनगर प्रखण्ड पलामू के भौगोलिक क्षेत्र को संहत (Compact) बनाये रखते हुए अंतिम प्रकाशन के पूर्व पुनर्विचार करने का निदेश प्राप्त हुआ। साथ ही, विभिन्न आपत्ति अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए जिसपर उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–344 दिनांक–20.06.2016 से 03 ग्रामों को हटाकर 05 ग्रामों को शामिल करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

उक्त प्रस्ताव के आलोक में पुनः विभागीय अधिसूचना सं०–1351 दिनांक–27.02.2017 द्वारा प्रारूप आदेश निर्गत किया गया। इस निर्गत प्रारूप आदेश पर उपायुक्त, पलामू द्वारा प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदनों की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरांत उपायुक्त, पलामू ने अपने पत्रांक–390, दि०–30.05.2017 के द्वारा मेदिनीनगर नगर परिषद् (वर्ग–'ख') के साथ मेदिनीनगर नगर प्रखण्ड के 10 राजस्व ग्राम एवं चैनपुर प्रखण्ड के 04 राजस्व ग्राम कुल 14 राजस्व ग्रामों यथा –(1) सुदना, (2) बारालोटा, (3) रेड़मा, (4) बैरिया, (5) निमिया, (6) सिंगरा खुर्द, (7) सिंगरा कला, (8) बजराहा, (9) पोखराहा खुर्द, (10) टिकुलिया, (11) शाहपुर, (12) कल्याणपुर, (13) चैनपुर एवं (14) गुरहा को समाहित करते हुए मेदिनीनगर नगर निगम के गठन की अनुशंसा की गई है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा–3 की उपधारा (1) एवं (2) तथा धारा–4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ पलामू जिलान्तर्गत मेदिनीनगर नगर परिषद् (वर्ग–'ख') के मूल रूप के साथ उसके आस–पास के 14 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित परिशिष्ट–I के रूप में संलग्न) को समाहित करते हुए अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से मेदिनीनगर नगर निगम के रूप में गठित करते है।

मेदिनीनगर नगर निगम के गठन के उपरांत क्षेत्र के विकास एवं नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु विभागीय संकल्प संख्या–3948 (अनु०) दिनांक–22.06.2017 में स्वीकृत मॉडल पद संरचना के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

7.8.17

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

**ज्ञापांक–8/विविध/109/2015/न०वि०आ०/ 5065 राँची, दिनांक– 07/08/17**

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रकाशनोपरान्त अधिसूचना की 300 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

7.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।

**ज्ञापांक–8/विविध/109/2015/न०वि०आ०/ 5065 राँची, दिनांक– 07/08/17**

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

7.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।

**ज्ञापांक–8/विविध/109/2015/न०वि०आ०/ 5065 राँची, दिनांक– 07/08/17**

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड सरकार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, शहरी स्थानीय निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.8.17

सरकार के प्रधान सचिव।

Manju/E/Sec.-8/Adisuchna-6

झारखण्ड सरकार

## नगर विकास एवं आवास विभाग

## मेदिनीनगर नगर निगम का गठन

उपायुक्त, पलामू के पत्रांक–390, दि०–30.05.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मेदिनीनगर नगर परिषद्, वर्ग–'ख' के मूल रूप में समाहित होनेवाले 14 राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्यावार निम्नवत् है:–

| क्र० | स्थल का नाम | थाना संख्या | जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार) | क्षेत्रफल (हेक्टेयर) | जनसंख्या घनत्व (वर्ग कि०मी०) |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | मेदिनीनगर नगर परिषद, वर्ग–'ख' | | | | |
| 1 | मेदिनीनगर नगर परिषद् वर्ग–'ख' | 189 | 78396 | 883 | 8878 |
| B. | प्रखंड–मेदिनीनगर | | | | |
| 1 | सुदना | 191 | 14552 | 229.598 | 6340 |
| 2 | बारालोटा | 198 | 14880 | 695.533 | 2139 |
| 3 | रेड़मा | 188 | 12497 | 605.871 | 2063 |
| 4 | गैरिया | 197 | 2685 | 278.723 | 963 |
| 5 | निमिया | 192 | 2171 | 155.913 | 1392 |
| 6 | सिगरा खुर्द | 194 | 3296 | 377.915 | 872 |
| 7 | सिगरा कला | 195 | 1645 | 344.233 | 478 |
| 8 | बजराहा | 193 | 195 | 101.236 | 193 |
| 9 | पोखराहा खुर्द | 205 | 4788 | 549.542 | 871 |
| 10 | टिकुलिया | 196 | 02 | 108.625 | 2 |
| C. | प्रखंड–चैनपुर | | | | |
| 11 | शाहपुर | 112 | 13513 | 433.997 | 3114 |
| 12 | कल्याणपुर | 113 | 1278 | 132.955 | 962 |
| 13 | चैनपुर | 118 | 8188 | 90.038 | 9097 |
| 14 | गुरहा | 114 | 855 | 104.898 | 816 |
| | कुल– | | **158941** | **5092.077** | **38180** |

मेदिनीनगर नगर निगम एक झलक में:–

नगर निगम की कुल जनसंख्या–158941

नगर निगम की कुल क्षेत्रफल–5092.077 हेक्टेयर

नगर निगम की जनसंख्या का घनत्व–38180 वर्ग कि०मी०

7.8.17

(प्रधान सचिव)

नगर विकास एवं आवास विभाग।